

कार्यालय नगर पंचायत सिकंदरपुर कन्नौज ।
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किए जाने के सम्बन्ध में 1 से 17 तक का मैनुअल/विवरण पत्र

बिन्द सं०	बिन्दु	विवरण	
4	प्रभार / प्राधिकरण के क्रिया कलापों को संपादित करने हेतु निर्धारित प्राविधान	<p style="text-align: center;">पेयजल व्यवस्था</p> <p>1—पेयजल व्यवस्था में एक ओबर हेड टैंक और दो ट्यूबवेल कार्य कर रहे हैं।</p> <p>2—निकाय में 94 न्डिया मार्का हैण्डपम्प है</p> <p>3—655 जल कनेक्शन हैं जिसमें ब्लीचिंग युक्त शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जा रही है।</p> <p>4—एक टैंकर प्रत्येक 1700 ली० का उपलब्ध है। जिनका लड़का लड़की की शादी में</p> <p>51/- शुल्क निर्धारित है।</p>	<p>1—नलकुप खराबी की सूचना प्राप्त के दो दिनों के अन्दर ठीक कराये जाने की व्यवस्था है।</p> <p>2—हैण्डपम्प की सामान्य खराबी की सूचना प्राप्त के दो दिवस में ठीक कराने की व्यवस्था है।</p> <p>3—आवेदन प्राप्त होने के बाद सामान्य औपचारिकताये पूर्ण करते हुए एक सप्ताह में जल संयोजन देने की व्यवस्था है।</p> <p>4—खराबी होने पर तत्काल ठीक कराने की व्यवस्था है।</p> <p>5—प्रार्थना पत्र पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर टैंकर उपलब्ध कराया जाता है।</p>
		<p>मार्ग प्रकाश:- नगर पंचायत क्षेत्रके अन्तर्गत 115</p>	<p>निरीक्षण/सूचना प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर बल्ब आदि बदलने की व्यवस्था है।</p>

<p>विद्युत पोल हे जिन पर बल्व ट्यूबलाइट मरकरी सोडियम लैंम्प से मार्ग प्रकाश व्यवस्था की जाती है।</p>	<p>ह।</p>
<p>सफाई व्यवस्था:-</p>	
<p>नगर क्षेत्र में 10 वार्ड हैं जिसमें 10 नियमित सफाई कर्मचारी तथा 9 संविदा कर्मचारियों द्वारा सफाई की जाती है। 10 हाथ टैला,, व अन्य सफाई उपकरण उपलब्ध है</p>	<p>प्रत्येक वार्ड में नियमित सडको, नालियों की सफाई तथा कूड़ा उठाया जाता है। शिकायत प्राप्त होने तत्काल सफाई कर्मी को लगाया जाता है।</p>
<p>जन्म मृत्यु पंजीयन:-</p>	
<p>जन्म मृत्यु की सूचना समय पर प्राप्त होने पर पंजीयन कर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।</p>	<p>1-जन्म मृत्यु का पंजीयन 21 दिन के अन्दर सामान्य फार्म पर सूचना प्राप्त होने परनियमानुसार पंजीयन की व्यवस्था है। 2- 21 दिन के बाद एक वर्ष तक नोटरी हलफनामों के साथ निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्राप्त होने पर 7 दिवस के अन्दर कार्यवाही की जाती है 3-एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक समय बाद सूचना देने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के उपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्राविधान है।</p>

		जलमूल्य:-	
		नगर पंचायत क्षेत्र में वर्तमान में 655 कनेक्शन है जिससे नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति किया जाता है ।	अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत बनाये गये नियम के अनुसार घरेलू कनेक्शन पर 30/- तथा गैर घरेलू कनेक्शनों पर नियमानुसार जलमूल्य लिये जाने की व्यवस्था है ।
		नामान्तरण/दाखिल खारिज:-	
		जनता द्वारा प्रार्थना पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण सूची एवं माँग पंजिका में नाम दर्ज करना	दाखिल खरिज हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र/अभिलेखों के प्राप्त होने पर नोटिस प्रकाशन के 35 दिन के अन्दर अभिलेखों के आधार पर दाखिल खारिज किये जाने का प्राविधान है ।

अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत

प्रशासक
नगर पंचायत

सिकन्दरपुर-कन्नौज

सिकन्दरपुर-कन्नौज